

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 18, सोमवार, शाके 1948- जून 08, 2026 Jyaistha 18, Monday, Saka 1948- June 08, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अधिसूचना

जयपुर, मई 15, 2026

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा-7/2026/राजकाजनं.177195/डी-660 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स.स.लि. की योजना नेमी सागर कॉलोनी के भूखण्ड संख्या-537 व538 (पूर्वी भाग) क्षेत्रफल 400 वर्ग गज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 30-08-2025द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तोपखाना देश गृ.नि.स.स.लि. की योजना नेमी सागर कॉलोनी के भूखण्ड संख्या-537 व538 (पूर्वी भाग) क्षेत्रफल 400 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 15-05-2026 को जारी की गई।

गौरव सैनी,
सचिव।